

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 81/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट्स
1-श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व० कुष्टा पत्नी रामसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल असाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1-ग्राम पंचायत बांदरा जरिये सरपंच 2-बन्नाराम पुत्र नाथाराम के का०मुकाम-
2-श्रीमती हऊवा पुत्री स्व० कुष्टा पत्नी भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल कालूडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		2.1- गणपत पुत्र स्व० भंवरसिंह 2.2- दलीप पुत्र स्व० भंवरसिंह 2.3- श्रीसंत पुत्र स्व० भंवरसिंह 2.4- गोर्वधनसिंह पुत्र स्व० बन्नाराम 2.5- रामसिंह पुत्र स्व० बन्नाराम 2.6- गोतम गुसाई पुत्र मुलाराम 2.7- मोहनलाल पुत्र मुलाराम 2.8- मनोहरलाल पुत्र रेवंताराम 2.9- रमेश कुमार पुत्र रेवंताराम 2.10-पप्पूदेवी पत्नी रेवंताराम
3-श्रीमती रेखा पुत्री स्व० कुष्टा पत्नी विरधा उर्फ विरधसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल हडेतर तहसील सांचौर जिला जालोर		सभी जातियान जाट निवासी छितर का पार, तहसील व जिला बाडमेर 3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2016 मे राजस्व अपील संख्या 14/2012 अनवान शांतिदेवी वगैरा बनाम ग्राम पंचायत बांदरा वगैरा मे दिनांक 26-5-2016 को पारित किया गया ।

उपस्थिति बहस:-

- 1- श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- रेस्पॉ० संख्या 2/1 से 2/10 की ओर से श्री एम.एल.खत्री ।
- 3- राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉ० संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28-5-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बांदरा तहसील बाडमेर के खसरा नंबरान 384 रकबा 55.01 बीघा, खसरा नंबर 389 रकबा 71.13 बीघा तथा खसरा नंबर 390 रकबा 116.06 बीघा कुल रकबा 243 बीघा भूमि का खातेदार कुष्टा वल्द अजीता कौम पुरोहित सा० देह था । उक्त खातेदार के फोट होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन संख्या 134 मृतक की पत्नी वीरो तथा उसकी तीन पुत्रियां वर्तमान अपीलांट के पक्ष मे स्वीकृत किया गया । उपरोक्त भूमि मे से खसरा नंबर 390 की 32 बीघा 06 बिस्वा भूमि अपीलांटगण एवं मृतक खातेदार कुष्टा की बेवा वीरो के नाम दर्ज थी परंतु उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 644 पटवारी हल्का ने वर्तमान रेस्पॉ० संख्या 2 के पूर्वज बनाराम पुत्र नाथाराम कोम जाट के पक्ष मे बिना बेचान दस्तावेज की जांच किये तथा अपीलांटगण को सूचित किये वर्ष 1977 मे ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 644 के विरुद्ध अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 के द्वारा खारीज कर दिया जाने पर उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक खातेदार कुष्टा के नाम चल रही खातेदारी भूमि का उसके देहांत के बाद तत्कालीन पटवारी हल्का ने विरासत का नामांतरकरण संख्या 134 उसकी बेवा वीरो एवं तीन पुत्रियां वर्तमान अपीलांट शान्ति, हऊआ एवं रेखा पुत्रियां कुष्टा के पक्ष मे स्वीकृत किया तथा अन्य म्युटेशन संख्या 644 खसरा नंबर 390 की 32.06 बीघा भूमि खातेदार वीरो द्वारा किये गये बेचान के आधार पर स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलाधीन खसरा नंबर 390 की भूमि का अकेली वीरो को बेचान करने का कोई अधिकार ही नहीं था क्योंकि उक्त भूमि मे वीरो का केवल 1/4 हिस्सा ही होने से वह अपने हिस्से तक की भूमि का बेचान कर सकती थी परंतु उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व बेचाननामे की जांच किये बिना तथा अपीलांटगण को सुने बिना ही सरपंच ग्राम पंचायत ने म्युटेशन स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को लोक अदालत केम्प मे लेजाकर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि लोक अदालत मे पत्रावली को रखे जाने का अपीलांटगण का कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं था तथा न ही प्रकरण पक्षकारान के बीच राजीनामे या सहमति का था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित कोर्ट मे चल रहे प्रकरण को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2016 के केम्प मे रखते हुए निर्णित करने मे विधिक भूल की है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि पंजीबद्ध बेचान पत्र से अंतरित होना तथा उसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के कारण का उल्लेख करते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि तथाकथित बेचाननामा अपीलांटगण द्वारा निष्पादित किया हुआ नहीं है ऐसे मे अपीलांटगण के हिस्से तक की भूमि का म्युटेशन स्वीकृत किया ही नहीं जा सकता था परंतु अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच किये बिना स्वीकृत नामांतरकरण को चेलेंज करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया विवेचन विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जब अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 644 मे निरीक्षक भू अभिलेख की यह टिप्पणी अंकित की गई थी कि उक्त म्युटेशन स्वीकृति मे अन्य रेकर्डेड खातेदारो की सहमति नहीं है फिर भी अपीलकर्ता अपीलाधीन म्युटेशन केवल सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है जबकि ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं किया गया होने से अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यो पर गौर किये बिना पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन

संख्या 644 को निरस्त करने तथा विवादित भूमि का म्युटेशन मृतक कुष्टा के सभी वारिसान के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/10 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की खातेदार वीरो ने जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र के खसरा नंबर 390 की 32.06 बीघा भूमि का बेचान करने पर उक्त पंजीकृत बेचाननामे के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/10 के पूर्वज बनाराम पुत्र नाथाराम कौम जाट के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 644 स्वीकृत किया था जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 के द्वारा अपीलाटगण की प्रथम अपील को खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलाटगण की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि वर्ष 1977 में बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था तब से अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 के खाते में एवं कब्जे में चली आ रही है ऐसे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार 12 वर्ष से अधिक समय तक किसी भूमि पर कब्जा काश्त होने पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ऐसे में अपीलाटगण यदि अपीलाधीन भूमि में अपना हक अधिकार होना मानते हैं तो उन्हें विधिवत राजस्व वाद पेश कर अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकते हैं म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारों की घोषणा संभव नहीं है इसलिए अपीलाटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए अपीलाटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 644 एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 644 के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त म्युटेशन खसरा नंबर 390 की 32 बीघा 06 बिस्वा भूमि का पंजीबद्ध बेचान रेस्पो0 संख्या 2 बनाराम पुत्र नाथाराम कौम जाट के पक्ष में होने पर पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा दिनांक 12-10-77 को स्वीकृत किया गया था, जिसमें प्रथमदृष्टियों कोई विधिक त्रुटि नहीं होना पाया जाता है ।

उक्त म्युटेशन संख्या 644 के विरुद्ध अपीलाटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि वीरो बेवा कुष्टा अकेले को खसरा नंबर 390 की 32.06 बीघा भूमि के बेचान करने का अधिकार नहीं था इसलिए रेस्पो0 संख्या 2 के पूर्वज बनाराम के पक्ष में किया गया बेचान विधिविरुद्ध होते हुए उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व बेचाननामे की जांच व अपीलाटगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था ।

इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पंजीबद्ध बेचान के दस्तावेज की वैधता एवं उसकी जांच करने तथा किसी प्रकार का अभिमत देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इसलिए रेस्पो0 संख्या 2 के पूर्वज के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध

बेचान को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक उक्त बेचान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में देते हुए अपीलांतगण की अपील को खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपीलांतगण यदि अपीलाधीन भूमि में अपना हक अधिकार होना मानती है तो नियमित वाद सक्षम न्यायालय में पेश कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी होगी, म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारों का निर्धारण संभव नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांतगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 644 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28-5-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(वंदना सिंघवी)  
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर